प्रेषक,

संयुक्त शिक्षा निदेशक / सदस्य सचिव

मंडलीय समिति ,मेरठ मंडल ,मेरठ

सेवा में ,

प्रबंधक

कौशल्या वर्ल्ड स्कूल

एच एस 34 सेक्टर - पाई -2

ग्रेटर नोएडा (गौतम बुद्ध नगर)

पत्रांक /म स ./मा.शि (NOC) अनुभाग / 14563-17 2012 दिनांक :-15/08/2012

विषय :- विधालय को सी.बी.एस.ई ,नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके द्वारा विधालय को सी.बी.एस.ई ,नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत पत्र के क्रम में कहना है कि विधालय को अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने का प्रकरण मंडलीय समिति के विचाराधीन है ।

भवदीय

(अजय कुमार दिवेदी)

संयुक्त शिक्षा निर्देशक /सदस्य सचिव

मेरठ मण्डल ,मेरठ

पृ.सं ./म./स./मा.शि. (NOC) अनुभाग / /2012 तद दिनांक ।

प्रतिलिपि सचिव , केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद ,शिक्षा केंद्र -2 समुदाय केंद्र प्रीत विहार , नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित

(अजय कुमार दिवेदी)

संयुक्त शिक्षा निदेशक / सदस्य सचिव

मेरठ मण्डल ,मेरठ

NOC FR

Scanned with OKEN Scanner

(7) राज्य सरकार/मण्डलीय समिति/शिक्षा विभाग द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।

(8) विद्यालय का रिकॉर्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।

(9) उत्तर प्रदेश शिक्षा संहिता की धारा–105 से 107 के अन्तर्गत विभिन्न वर्गों के छात्रों को अनुमन्य शुल्क मुक्ति संस्था के छात्रों को प्रदान की जायेगी।

(10) उक्त शर्तों में राज्य सरकार/मण्डलीय समिति/शिक्षा विभाग के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

2–विद्यालय द्वारा छात्रों से कॉशनमनी (सिक्योरिटी), भवन शुल्क (मेन्टीनेन्स), प्रवेश शुल्क, डोनेशन, मेनेजमेन्ट शुल्क, विकास शुल्क मदों में शुल्क नहीं लिया जायेगा।

3–उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है, तो राज्य सरकार/मण्डलीय समिति द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय

(आशा तोमर)
संयुक्त शिक्षा निदेशक एवं सदस्य सचिव
मेरठ मण्डल, मेरठ।

पृष्ठांकन संख्या– 360 / मं0स0 (III) / 2013 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) संयुक्त सचिव (शिक्षा–7 अनुभाग) उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
(2) शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(3) जिला विद्यालय निरीक्षक, गौतमबुद्धनगर।
(4) प्रबन्धक, कौशल्या वर्ल्ड स्कूल, एच0एस0–34, सेक्टर पाई–2, ग्रेटर नौएडा,(गौतमबुद्धनगर)।

(आशा तोमर)
संयुक्त शिक्षा निदेशक एवं सदस्य सचिव
मेरठ मण्डल, मेरठ।

Scanned with OKEN Scanner